प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 06.09.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 06.09.2025 को निम्न अभियोग मे सजा करायी गयी है।

1. थाना भरथना

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07-07 वर्ष के कारावास व 13,000-13,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 03 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष के कारावास व 13,000-13,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.11.2019 को वादी टीकाराम पुत्र प्रकाश निवासी रमायन थाना भरथना जनपद इटावा नें अभियुक्तगणों द्वारा वादी के भाई को लाठी डण्डों से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के संबंध में थाना भरथना पर तहरीर दी जिसके संबंध में थाना भरथना पर मु0अ0सं0 364/19 धारा 304/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग सैल व डीजीसी श्री शिव कुमार शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.09.2025 को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश इटावा द्वारा अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास व 13,000-13,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजायफ्ता अपराधीः-

1. नीलेश पुत्र रामस्वरूप निवासी नगला रमायन थाना भरथना जनपद इटावा।
2. रामनरेश पुत्र रामस्वरुप निवासी नगला रमायन थाना भरथना जनपद इटावा।
3. बृजेश सिंह पुत्र सरनाम निवासी नगला रमायन थाना भरथना जनपद इटावा।